न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या—25/2012—2013

ग्लोवल जीनियस कालेज, सोंख, कुम्हेर रोड सोंख द्वारा प्रबन्धक
ओम प्रकाश चतुर्वेदी बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0
मौजा सोख उर्फ डूंगरा पट्टी

7/9/ आदेश

प्रार्थी ग्लोवल जीनियस कालेज, सोंख, कुम्हेर रोड सोंख द्वारा प्रबन्धक ओम प्रकाश चतुर्वेदी पुत्र शिवचरन लाल चतुर्वेदी निवासी लोरिया पट्टी, प्रबन्धक/सचिव कृष्णा मैमोरियल एजूकेशन सोसाइटी ग्राम लोरिया पट्टी तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दिनांक—21.12.2012 में अंकित किया गया है कि वे मौजा सोंख उर्फ डूंगरापट्टी तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—552 खसरा सख्या—1336मि. रकवा 0.400हे. भूराजस्व 6.55 रुपये के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, वागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक—1.6.2013 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सोंख उर्फ डूंगरापट्टी तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—552 खसरा सख्या— 1336मि. रकवा 0.400हे. भूराजस्व 6.55 रुपये के ग्लोवल जीनियस कालेज, सोंख, कुम्हेर रोड सोंख द्वारा प्रबन्धक ओम प्रकाश चतुर्वेदी पुत्र शिवचरन लाल चतुर्वेदी निवासी लोरिया पट्टी, प्रबन्धक/सचिव कृष्णा मैमोरियल एजूकेशन सोसाइटी ग्राम लोरिया पट्टी तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन व पशुपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। प्रस्तावित भूमि आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी सरकारी निकाय में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रार्थी द्वारा सह खातेदार मुन्शी पुत्र श्री रामहेत निवासी नगला आशा पो0 सोंख जिला मथुरा का शपथ—पत्र दिनांक—18.7.2013 प्रस्तुत किया है, जिसमें अंकित किया गया है कि सहखातेदार की भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक—1.6.2013 के आधार पर मौजा सोंख उर्फ डूंगरापट्टी तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या—552 खसरा सख्या—1336मि. रकवा 0.400हे. भूराजस्व 6.55 रुपये को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रवृत्त नियमों/निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। तहसीलदार की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखो में पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(रमेश चन्द्र)
उप ज़िलाधिकारी, मथुरा

दिनांक— 19.7.13

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

(रमेश चन्द्र) 19/7/13
उप ज़िलाधिकारी, मथुरा

496
ओमप्रकाश
23.7.13
23.7.2013
23.7.2013
सत्य प्रतिलिपि
23/7/13